

11-2-22

पन्नावली चेत्र हुई आरम्भिक परीक्षा तथा
कार्य का वादीगण द्वारा जमा करने
आविके कार्यवाही पन्नावली 29-4-22 को
चेत्र हो।

22-4-22

पन्नावली चेत्र हुई आरम्भिक वादीगण उप.
जकाब सरकार सलान पन्नावली होने एवं
प्रकरण की प्रकृति को मध्यमजर रखते
हए प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत
दिनांक 14-5-22 को रखा जाया है।
पन्नावली 14-5-22 को राष्ट्रीय लोक अदालत
में चेत्र हो।

14-5-22

पन्नावली राष्ट्रीय लोक अदालत में चेत्र
हुई वादी श्रेय उपस्थित सरकार
चेत्रकार का जकाब सरकार पन्नावली
पर उपलब्ध होने पन्नावली का लोक
अदालत की भावना से निस्तारण किया
जा रहा है। श्रेय में निर्णय उपकार
है कि यह वादीगण ने वाद-घण उस्तुर
पर कथन किया कि वादीगण के खारे
एवं कठोर काश्त की कृषि आरम्भ समय सन् 1991
सन् 1991 से 1994 तक के जमा देवपुरा तहसील
इलाका में स्थित है वार्ड कृषि आरम्भ के सेक्शन
संख्या 2041-2060 से पूर्व के नम्बर 100 रीन
संख्या 15 कीला से जो वादीगण के पिता जगन्नाथ
पुरा कपलाल जारि केशव निवसनी देवपुरा को
आपन्त हुई थी आपन्ती का राज्य रिकार्ड

में अमल करते समय आवन्ती का निवास स्थान देवपुरा के स्थान पर कवरपुरा दर्ज कर दिया गया। और अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के स्वातेदायी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड दर्ज गाव का नाम कवरपुरा के स्थान पर देवपुरा दर्ज किया जावे।

वादीगण का वाड-पत्र दर्ज राजीश्वर दिया जाकर सरकार पेटोकार से जबाब वाड-पत्र लिखा गया जबाब सरकार ने आवन्ती का राजस्व रिकार्ड में अमल (नामान्तकरण) करते समय आवन्ती का गाव का नाम देवपुरा के स्थान पर कवरपुरा दर्ज किये जाने को एप्रीपिन्नीय त्रुटी मानते हुए वाड-पत्र को स्वीकार किये जाने पर राज्यपक्ष प्रभावित नहीं होता ही स्वीकार किया है।

वादीगण ने अपने वाड-पत्र के समर्थन में नकल जमावन्ती रक्करा गिरफ्तारी श्रीलान क्षेत्रपाल नामान्तकरण स. 72 कृषक पासबुक दिनांक 11-6-92 आवन्तन आवेदन पत्र की सत्यापित प्रतियां वेथ की गई तथा वादीगण के आधारफाई की छाया प्रतियां वेथ की है।

हमारे द्वारा पन्नावली पर उपलब्ध इलाके का स्थानपूर्वक अवलोकन किया गया पन्नावली पर उपलब्ध आवन्तन जाकीना-पत्र पर रिपोर्ट हल्का पटवारी का अवलोकन किये जाने पर आवन्ती का गाव देवपुरा दर्ज देना पाया जाता है तथा कृषक पास दिनांक 11-6-92 में आवन्ती का नाम जगन्नाथ आत्मन कवरनाथ ज्योती अथवा निवासी देवपुरा होना पाया जाता है आवन्ती जगन्नाथ को सेटलमेन्ट से पूर्व ख. न. 100 मीन रुका 15 बीघा आवन्तन हुआ जिसके परमाण स. स. 291 रुका 1.44 हेक्टर का प्रमाण देना पाया जाता है उपरोक्त तथ्य

एवं जबाब सरकार को ग्रहण नजर रखते हुए
एवं लोक अदालत की भावना रखते हुए
वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है
उचित समझते हैं।

उक्त वादीगण का वाद स्वीकार
किया जाता है तथा तदनुसार
दस्तावेज को अटेशन दिया जाता है कि
वादीगण के खातेवाली कृषि भूमि खाता नं.
९७ जमाबन्दी सम्वत् २०१५-२०१८ को ग्राम
देवपुरा में दर्ज वादीगण के नाम का नाम
"कपूरपुरा" को राजस्व रिकार्ड से विलोपित
किया जाकर इसके स्थान पर ग्राम का नाम
"देवपुरा" राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज
किया जाकर राजस्व को दुकूल किया
जावे। तदनुसार पन्च डिक्री जारी हो
पन्चवली फैसल सुधार होकर वाद तत्काल
कारिबल बनकर हो।

निर्णय आज दिनांक १५-५-२०२२ को
राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखवाया जाकर
सुनाया गया।

सदस्य
लोक अदालत
नाखेरी

सदस्य
लोक अदालत
नाखेरी

उपसण्ड अधिकारी
नाखेरी (दुबई)

F.P डिगरी ब मुकदमें इबतदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड इलाहाबाद मुकाम लखेवासी

व इजलास श्री सुगान्तर शर्मा R.A.S.

1. रमेश झा, जगन्नाथ झा व अन्य बनाम 1. राजस्थान सरकार जयें व दहीपुर
 निवासी देवपुरा व दहीपुर इन्द्रगढ़ इन्द्रगढ़ जिला बुन्ही
 वरिष्ठ जिला - बुन्ही लखेवासी
 श्रेष्ठ पुस्तक अधिदे वकील

दावा बाबत 88,89 L.R Act : 870

मुकदमा नम्बर 80/दावा/20 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजिरी
 श्री नरेश शर्मा एम. मिनजानिब मुद्दई रुबरु से रोकर सरकार

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का दावा स्वीकार किया जाता है व दहीपुर इन्द्रगढ़ को अर्पण दिये
 जाते हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 इयात स. 97 वाले ग्राम देवपुरा
 व दहीपुर इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज ग्राम का नाम "कवरपुरा" को राजस्व
 रिकार्ड से पूर्णतया हटा दिया जाकर उसके स्थान पर ग्राम का नाम
 देवपुरा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को फुल्ट किया जावे।

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन
 मुकदमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
 सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14-5-2022 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत
 ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
 लखेवासी (बुन्ही)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. शजेवुद आ. जगन्नाथ जगदी केशवा निवासी देवपुरा रहणील
इन्सुगढ तजिल्ल-सुन्डी

3. शम्भुस्वरूप आ. जगन्नाथ जगदी केशवा निवासी देवपुरा
रहणील इन्सुगढ तजिल्ल-सुन्डी

(सुन्डीवासीगण)

3)
उपसुण्ड अधिकारी
नासरी (सुन्डी)